रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि. वृत.....

श्रीमान,

आपको विदित की जमाबन्दी संवत 2070-73 में खातेदार हि० 1/8 का है। पुरानी जमाबन्दी में अवलोकन किया जमाबन्दी संवत 2034-37 खाता सं० 153 गाटा सं० 153 (सेरलमेहर्बी) का अंकन करते हि० 1/4 के बजाय हि० 1/8 का अंकन किया है जो आधिपत्य एवं वास्तव चला आ रहा सेरलमेहर्बी के पूर्व के गाटा सं० 153 का अंकन सही करते हुए खाता हि० 1/8 जसराम मकान की हि० 1/8 करने का खाता सही किया जाना है। इस संबंध में किया जाना आदेश

सलग्न- जमाबन्दी हाल गत

सेरलमेहर खाते क्रमांक 2082 दि० 26/11/17

जिला सेरलमेहर महोदय,

गाटा सं० 152 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

प्रति रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली)

चारागाह भूमि ने अवगत कराया है कि जमाबन्दी संवत 2034-37 खाता सं० 153 जिसका खाता 126 कायम जमाबन्दी संवत 2070-73 में गाटा सं० 153 का अंकन में हि० 1/4 के बजाय हि० 1/8 किया गया जो निरंतर अंकन कार्यवाही है। अतः इस जमाबन्दी में खातेदार जसराम पुत्र [illegible] जसराम मकान [illegible] हि० 1/8 किया गया है) इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु अधिक कार्यवाही हेतु)

तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

आदेश

प्र.सं. 24
4.12.17

तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट/अभिशंसा यथा प्रस्तावित स्वीकृत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.13 13:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस०डी०एम०) हिण्डौन

Scanned by CamScanner